| तारिख हुक्म | हुक्म या ... |
| --- | --- |
| 13.9.25 | पत्रावली आज लोक अदालत मे रखी जाकर<br>प्रार्थी को सुना गया, प्रार्थी ने हमारे समक्ष इस<br>प्रकार से निवेदन किया है कि ग्राम उमर थूनाप:<br>ह. माधोपुर के खाता स. 23, 24, 91 व 25 आराजी<br>किता 09 मे मुद्दा प्रार्थी का नाम गोटू पिता प्यारा<br>जी भील है। जब कि प्रार्थी का नाम छोटू पिता प्यारा<br>जी भील के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी के सभी<br>अन्य सरकारी दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम छोटूलाल<br>पिता प्यारा भील के नाम से बने हुए है। राजस्व<br>कर्मचारी की गलती से जमाबन्दी रिकार्ड मे गोटू<br>पिता प्यारा भील कर दिया है, अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र<br>स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का<br>नाम गोटू पिता प्यारा के स्थान पर "छोटूलाल<br>पिता प्यारा भील किया जावे। प्रकरण मे प्रार्थी को<br>सुना जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत पैरोकार<br>तहसीलदार बेगू के जवाब का अवलोकन किया गया<br>जिसमे पैरोकार तहसीलदार बेगू ने अपने जवाब<br>प्रा.पत्र मे भू. अभिलेख व पटवार हल्का की रिपोर्ट<br>के अनुसार गोटू पिता प्यारा भील व छोटू पिता प्यारा<br>भील दोनो के नाम से जाना जाता है। दोनो एक ही<br>व्यक्ति है। ग्राम उमर थुना मे प्रार्थी के अलावा<br>अन्य कोई और व्यक्ति नही है। एवं प्रकरण मे<br>प्रस्तुत दस्तावेज नकल जम. आधार कार्ड, मतदाता<br>परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास<br>बुक, ग्राम पंचायत नन्दवाई का प्रमाण पत्र की छाया<br>प्रति. इन सभी दस्तावेजो मे छोटूलाल पिता<br>प्यारा अंकित है। इन सभी प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों<br>व पैरोकार तहसीलदार बेगू द्वारा जवाब प्रा.पत्र<br>का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार<br>योग्य पाया जाता है।<br>अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अ. धा. 136 L.R.A का<br>लोक अदालत मे स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार<br>बेगू को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम उमर थुना<br>म. ह. माधोपुर के खाता स. 23 आराजी स. 1491 व<br>खाता स. 91 आराजी स. 115, 116, 117, 118 कुल किता |

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|
| 04 एवं खाता स. 24, आराजी स. 148, 152, 153 कुल किता 03 व खाता स. 25 आराजी स. 147 के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम गोटू पिता प्यारा भील के स्थान पर छोटूलाल पिता प्यारा भील किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |